सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ।

वित्त समिति की चतुर्थ बैठक दिनाँक 04 अक्टूबर, 2013 का कार्यवृत्त

वित्त समिति की चतुर्थ बैठक दिनाँक 04 अक्टूबर, 2013 को पूर्वान्ह् 11.00 बजे कुलपति कार्यालय, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई।

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी :—

1. डा0 हरि शंकर गौड़, कुलपति, अध्यक्ष
2. श्री सुरजन, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ सदस्य
3. श्री मनोज कुमार, प्रगतिशील कृषक, सुल्तानपुर, गाजियाबाद सदस्य
4. श्री पारस नाथ सिंह, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ सदस्य
5. श्री रामचन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ सदस्य
6. श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियन्त्रक सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए वित्त समिति को विश्वविद्यालय का वित्तीय प्रबन्धन सुदृढ करने के लिये किये गये प्रयासों की संक्षिप्त जानकारी देने के उपरान्त बैठक प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी।

प्रस्ताव संख्या 4.1: वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनाँक 07 जून, 2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनाँक 07 जून, 2013 को सम्पन्न द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 4.2: वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनाँक 07 जून, 2013 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

वित्त समिति द्वारा दिनाँक 07 जून, 2013 को सम्पन्न द्वितीय बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

4/10/13 4/10/13

प्रस्ताव संख्या 4.3: वित्त समिति की तृतीय (आकस्मिक) बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनाँक 29 जुलाई, 2013 को सम्पन्न तृतीय (आकस्मिक) बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 4.4: वित्त समिति की तृतीय (आकस्मिक) बैठक के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

वित्त समिति द्वारा दिनाँक 29 जुलाई, 2013 को सम्पन्न तृतीय (आकस्मिक) बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 4.5: वित्तीय वर्ष 2013–14 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 का आय–व्ययक

1. विश्वविद्यालय के आय–व्ययक में कतिपय सुधार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए विश्वविद्यालय आय–व्ययक का वर्गीकरण निम्नलिखित मुख्य लेखा शीर्षों में किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी:–

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	विवरण
1	सामान्य	उत्तर प्रदेश शासन से सहायता अनुदान (वेतन), सहायता अनुदान, (गैर वेतन) कृषक तकनीकी प्रशिक्षण, आडिट आदि हेतु प्राप्त समस्त अनुदान। उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त विशेष अनुदान, पूंजीगत अनुदान एवं समस्त छात्रवृत्तियां भी सम्मिलित है।
2	फार्म	विश्वविद्यालय की आन्तरिक स्रोतो से आय जैसे– बीज उत्पादन सम्बन्धित कार्य, विश्वविद्यालय के समस्त फार्म, बीज उत्पादन फार्म (चिरोडी), उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, फसल अनुसंधान केन्द्र, दांतल फार्म, ट्रायल/टेंस्टिंग, आई0पी0एम0 लैब, फूड प्रोसेंसिंग, मशरूम ईकाई, समेकित कृषि इकाई, मत्स्य ईकाई,नर्सरी, कृषक छात्रावास, संस्थागत एवं अन्य प्राप्तियां।

4/10/13

3	शिक्षण	विद्यार्थियों से प्राप्त शिक्षण शुल्क छात्रावास सहित समस्त प्रकार के शुल्क, काशन मनी, टेण्डर शुल्क से प्राप्त आय जमा होती है। छात्रावास, चिकित्सालय, सुरक्षा, विद्युत, मजदूरी एवं ठेके पर कार्य, कार्यालय, यात्रा भत्ता, वाहन,स्टेशनरी,टेलीफोन,अनुरक्षण, विज्ञापन, सामग्री आपूर्ति, कम्प्यूटर, किसान मेला,चिकित्सा, परीक्षा, विद्यार्थियों पर व्यय एवं अन्य कार्य शिक्षण मद में प्राप्त आय से कार्य किये जाते है।
4	परियोजना उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश, उपकार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यू0पी0 सी0एस0टी0 सहित उ0प्र0 शासन/उपक्रमों/परिषद विभागों से प्राप्त होने वाली परियोजनायें आदि। उक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त परियोजनायें भी सम्मिलित।
5	विकास निधि ICAR	आई0सी0ए0आर0 से विश्वविद्यालय एवं छात्रों के विकास हेतु प्राप्त धनराशि ।
6	परियोजना ICAR	आई0सी0ए0आर0, भारत सरकार के विभागों/उपक्रमों, परिषदों से प्राप्त परियोजनायें तथा ट्रायल एवं टेस्टिंग आदि कार्य।
7	परियोजना ICAR 75%&U.P 25%	छात्रों द्वारा ग्रामीण कृषि अनुभव कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य किये जाते है तथा कई अन्य कार्यक्रम/परियोजनायें, एकिप आदि।
8	कृषि विज्ञान केन्द्र, (फार्म)	13 कृषि विज्ञान केन्द्रों पर स्थित फार्मो में बीज उत्पादन एवं परीक्षण से सम्बन्धित समस्त प्रकार के आय–व्यय।
9	कृषि विज्ञान केन्द्र ICAR	मुख्यालय स्तर पर प्रसार से सम्बन्धित एवं 13 कृषि विज्ञान केन्द्रों पर प्रसार से सम्बन्धित कार्य हेतु आई0सी0ए0आर0 से वेतन भत्तों, यात्रा भत्ते, आकस्मिक व्यय आदि हेतु प्राप्त धनराशि।
10	संयुक्त प्रवेश परीक्षा	प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली सयुक्त प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित समस्त आय–व्यय।

2. व्यय के मानक मदों को परिभाषित करते हुए स्पष्ट करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ताकि भुगतानों का सही मानक मद में लेखांकन किया जा सके।
3. विश्वविद्यालय फार्म शीर्ष सम्बन्धी मानक मदों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित फार्म सम्बन्धित मानक मदों के अनुरूप इनपुट, मजदूरी, पी0ओ0एल0 तथा अन्य में वर्गीकृत करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ताकि विश्वविद्यालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के फार्मों के आय–व्यय की तुलना करना आसान हो सके तथा एक रूपता भी बनी रहेगी।

4/10/13

4. आई0सी0ए0आर0 से विकास निधि, प्रसार निदेशालय तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि का आय–व्ययक आई0सी0ए0आर0 की मानक मदों के अनुरूप ही तैयार करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ताकि आई0सी0ए0आर0 को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करना तथा वित्तीय प्रबन्धन सुविधाजनक हो सके।
5. वित्तीय वर्ष 2013–14 से विश्वविद्यालय आय–व्ययक के अनुसार ही अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट तैयार कराने हेतु निर्देशित किया गया।
6. व्यापक चर्चा के उपरान्त वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक पर मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 4.6: विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत भारतीय स्टेट बैंक शाखा तथा किराया निर्धारण के सम्बन्ध में।

अर्द्धनगरीय क्षेत्र के रूप में उपलब्ध कराये गये वर्गीकरण के क्रम सं0–6 तथा 7 पर कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ द्वारा दिनाँक 10.07.2012 से आगामी 2 वर्ष के लिए रू0 70/– प्रति वर्ग मीटर प्रतिमाह किराया दर का मूल्यांकन किया गया है। उक्त मूल्यांकन के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा तथा ए0टी0एम0 का किराया निम्नवत निर्धारित करने की संस्तुति की जाती हैः–

क्र0 सं0	विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	किराया दर प्रतिमाह प्रति वर्ग मीटर	किराया प्रतिमाह
1	भारतीय स्टेट बैंक शाखा	63.80	70.00	4466.00
2	भारतीय स्टेट बैंक ए0टी0एम0	9.00	70.00	630.00

जिला कलेक्टर द्वारा किराया दरों में परिवर्तन होने अथवा शाखा/ए0टी0एम0 के क्षेत्रफल में परिवर्तन होने पर मा0 कुलपति जी को किराया निर्धारित करने का अधिकार प्रतिनिहित करने की संस्तुति की गयी।

4/10/13

उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय परिसर में अनुपयोगी भवनों में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एवं परिसर वासियों हेतु जिलाधिकारी मेरठ द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार न्यूनतम किराया के आधार पर नीलामी/टेण्डर के माध्यम से किराया निर्धारित करते हुए दुकानों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी।

(कार्रवाईः नोडल अधिकारी, निर्माण/वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 4.7: विश्वविद्यालय में दोहरी लेखा प्रणाली लागू करते हुए लेखांकन प्रक्रिया का समस्त कार्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्य अनुबन्ध के आधार पर सम्पादित किये जाने के सम्बंध में।

वित्त समिति की बैठक में प्रस्ताव संख्या 2.11 पर विश्वविद्यालय में लेखांकन प्रक्रिया की दोहरी लेखा प्रणाली लागू करते हुए केवल एक वर्ष के लिए कार्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्य अनुबन्ध के आधार पर सम्पादित कराये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि कार्य अनुबन्ध पर धनराशि रू0 30,000/– प्रति माह की अधिकतम सीमा तक व्यय किया जायेगा तथा लेखा अनुभाग के समस्त कार्मिकों को उक्त कार्य का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए दोहरी लेखा प्रणाली में दक्ष बनाया जायेगा।

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि निर्धारित धनराशि रू0 30,000/– बहुत कम है तथा इतनी कम धनराशि पर गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः पूर्व में अनुमोदित धनराशि की सीमा को रू0 30,000/– से बढ़ाकर रू0 40,000/– प्रति माह करने के प्रस्ताव को मा0 प्रबन्ध परिषद की अनुमति हेतु संस्तुति की गयी।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

4/10/13

प्रस्ताव संख्या 4.8: वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 पांच वित्तीय वर्षों के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट का अनुमोदन।

वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 पांच वित्तीय वर्षों के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट मा0 प्रबन्ध परिषद की अनुमति हेतु संस्तुति की गयी। वित्त समिति द्वारा अपेक्षा की गयी कि कैशबुक तथा बैंक अवशेष का मिलान कर अन्तर का समाधान करते हुए तत्काल कैशबुक में समाधान की प्रविष्टियाँ की जायें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए वित्त समिति को अवगत कराया जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 4.9: विश्वविद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पर अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश (300 दिन की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत) नकदीकरण स्वीकृत किया जाना।

वित्त समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या वित्त (सामान्य) अनुभाग–4 संख्या सा–4–393/दस–99–200–88 दिनांक 01 जुलाई, 1999 को संज्ञान में लेते हुए सरकारी सेवकों की भांति अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की सीमा को 240 से बढ़ाकर 300 दिन करने के लिए मा0 प्रबन्ध परिषद की अनुमति हेतु संस्तुति की गयी तथा उक्त सम्बन्ध में शासन को पुनः प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

4/10/13

प्रस्ताव संख्या 4.10: श्री मनीराम, सहायक कृषि निरीक्षक को पी0ओ0एल0 भत्ता (25 लीटर पेट्रोल प्रतिमाह) दिये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के नवीन तथा पुराने परिसर में उद्यान सम्बन्धित कार्यों की देखभाल/पर्यवेक्षण करने पर होने वाले व्यय की वास्तविक प्रतिपूर्ति धनराशि रू0 1000.00 प्रति माह की सीमा तक सम्बन्धित तृतीय श्रेणी कार्मिक को करने की संस्तुति की गयी।

(कार्रवाईः विभागाध्यक्ष, उद्यान/निदेशक अनुसंधान केन्द्र/वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 4.11: विश्वविद्यालय परिसर में दिनाँक 27–05–2013 को आये चक्रवातीय तूफान के कारण विश्वविद्यालय परिसर में हुई क्षति की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 27–05–2013 को आये चक्रवातीय तूफान से हुई क्षति का आकलन कराया गया, जिसपर रू0 72.00 लाख का व्यय होना बताया गया, जिसको शासन को भेज दिया गया था। संयुक्त सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग के पत्र संख्या 1725/67–कृशिअ–13–500(17) /13 दिनांक 27 अगस्त, 2013 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य हेतु विभागीय बजट में कोई प्राविधान नही है साथ ही उक्त क्षति का वहन विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से करने हेतु भी निर्देशित किया है। वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्रवाईः नोडल अधिकारी, निर्माण/वित्त नियंत्रक)

4/10/13

प्रस्ताव संख्या 4.12: विश्वविद्यालय के कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाइल उपयोग हेतु अधिकतम सीमा के अन्तर्गत प्रतिमाह व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बंध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय के कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय हित में अपने मोबाइल का प्रयोग नियमित रूप से किया जाता है। विश्वविद्यालय हित में स्वयं के एक या अधिक मोबाइल सिम उपयोग हेतु प्रतिमाह अधिकतम सीमा के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति करने के निम्न प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयीः–

क्र0 सं0	अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम	अधिकतम सीमा प्रतिमाह (धनराशि रू0 में)
01	कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक	1000.00
02	कुलपति/कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक के निजी सहायक/आशुलिपिक	300.00
03	कुलपति/कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक के वाहन चालक	250.00

(कार्रवाईः कुलसचिव/वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 4.13: विश्वविद्यालय के आवासीय भवनों के मानक किराये को पुनर्निधारण कराये जाने का प्रस्ताव।

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 260(2) ईजी/23–513–50(71)ईजी/04 दिनांक 18 मार्च, 2013 द्वारा आवासीय भवनों पर मरम्मत एवं अन्य मदों में भारी वृद्धि होने के कारण उनके किराये में पुनर्निर्धारण करते हुए आवासीय भवनों के प्रचलित मानक किराये की दरों को तीन गुना किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के अनुपालन में सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में भी दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से आवासीय भवनों के प्रचलित मानक किराये की दरों को निम्न प्रकार तीन गुना किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयीः–

4/10/13

(धनराशि रू0 में)

क्र0 सं0	आवास की श्रेणी	वर्तमान मानक आवास किराया	पुर्ननिर्धारण उपरान्त मानक आवास किराया दिनांक 01–04–2013 से
01	टाईप–I	70.00	210.00
02	टाईप–II	120.00	360.00
03	टाईप–III	230.00	690.00
04	टाईप–IV	520.00	1560.00
05	टाईप–V	600.00	1800.00

(कार्रवाईः नोडल अधिकारी, निर्माण/वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 4.14: विश्वविद्यालय में प्रसूति अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश हेतु उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या जी–2–573/दस–2009–216–79 दिनांक 24 मार्च, 2009 एवं शासनादेश संख्या जी–2–176/दस–2011–216–79 दिनांक 11 अप्रैल, 2011 को लागू किये जाने के सम्बंध में।

उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या जी–2–573/दस–2009–216–79 दिनांक 24 मार्च, 2009 एवं शासनादेश संख्या जी–2–176/दस–2011–216–79 दिनांक 11 अप्रैल, 2011 सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में लागू किये जाने का प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद के माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 4.15: चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग–6 की अधिसूचना संख्या–2275/5–6–11–1082/87 दिनांक 20 सितम्बर, 2011 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

4/10/13

उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग–6 की अधिसूचना संख्या–2275/5–6–11–1082/87 दिनांक 20 सितम्बर, 2011 को सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में लागू किये जाने का प्रस्ताव के प्रस्ताव को मा0 प्रबन्ध परिषद के माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित करने की संस्तुति की गयी। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को अभी यह सुविधा उपलब्ध नही हो पायी है तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा विश्वविद्यालय में लागू किये जाने पर प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 4.16: विद्यार्थियों को आकस्मिक गम्भीर स्थिति में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक एम्बुलेन्स का क्रय किया जाना।

वित्त समिति द्वारा विद्यार्थियों तथा कार्मिकों को आकस्मिक/गम्भीर अवस्था में तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा (CATET) खाते में पूर्व वर्षों की बचत से एक एम्बुलेन्स क्रय करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्रवाईः प्रभारी अधिकारी पूल)

प्रस्ताव संख्या 4.17: वेतन समिति (2008) के पत्र दिनाँक 30 दिसम्बर, 2011 के माध्यम से मानदेय/नियत वेतन/संविदा कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–562/दस–54(एम)2008टी0सी0 दिनांक 30 अगस्त, 2013 के माध्यम से मानदेय/नियत वेतन/संविदा कर्मचारियों के प्रस्तर संख्या–9 के अनुसारः–

4/10/13

"स्वशासी संस्थाओं/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं आदि में संविदा के आधार पर नियुक्त कार्मिकों के प्रकरणों में प्रशासकीय विभाग द्वारा आवश्यक परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग के परामर्श के साथ मुख्य सचिव के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त किये जायें।"

शासनादेश सं0–335/67–कृशिअ–10–500(10)/0 दिनाँक 07 दिसम्बर, 2012 के अनुसार विश्वविद्यालय में संविदा के आधार पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर/कम्प्यूटर चालक के डाटा इन्ट्री आपरेटरों की संविदा राशि रू0 6000 मासिक से बढ़ाकर रू0 10000 मासिक कर दी गयी। शासनादेश सं0–वे0आ0–2–562/ दस–54 (एम)2008टी0सी0 दिनाँक 30 अगस्त, 2013 के अनुसार पदों का वेतनमान 5200–20200 तथा ग्रेड पे रू0 2400 निर्धारित किया गया है। इस प्रकार रू0 7510+2400=9910+रू0 7928=17838 की देयता बनती है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में धनराशि रू0 10000/– के नियत वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में कार्यरत 9 कम्प्यूटर आपरेटरों पर प्रतिवर्ष धनराशि रू0 8.46 लाख का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा।

कृपया वित्त (वेतन) के शासनादेश सं0–वे0आ0–2–562/ दस–54(एम) 2008टी0सी0 दिनाँक 30 अगस्त, 2013 के प्रस्तर–9 के अनुसार सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के 09 कम्प्यूटर आपरेटरों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्रवाईः कुलसचिव/वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 4.18: कुलपति पद पर नियुक्त होने वाले सेवारत शिक्षकों/वैज्ञानिकों को पैतृक विभाग से सेवानिवृत्त होने की अवधि अथवा कुलपति पद पर तैनात रहने की अवधि, जो भी पहले हो, तक प्रतिनियुक्ति पर मानते हुए प्रतिनियुक्ति भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा

4/10/13

भत्ता, पेंशन तथा अवकाश वेतन अंशदान का भुगतान के सम्बन्ध में।

कुलपति पद पर नियुक्त होने वाले सेवारत शिक्षकों/ वैज्ञानिकों को पैतृक विभाग से सेवानिवृत्त होने की अवधि अथवा कुलपति पद पर तैनात रहने की अवधि, जो भी पहले हो, तक प्रतिनियुक्ति पर मानते हुए प्रतिनियुक्ति भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, पेंशन तथा अवकाश वेतन अंशदान आदि का भुगतान करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्रवाईः कुलसचिव/वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 4.19: असमायोजित अग्रिमों की अद्यावधिक स्थिति

वित्त समिति द्वारा अवशेष असमायोजित अग्रिमों की वेतन से तत्काल कटौती करते हुए शीघ्र समायोजन कराने के निर्देश दिये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 4.20: आडिट आपत्तियों की अद्यावधिक स्थिति

वित्त समिति के समस्त सदस्यों द्वारा अवशेष आडिट आपत्तियों के निस्तारण हेतु अभियान चलाते हुए उनके शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देशित किया।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 4.21: दूरस्थ शिक्षा के बैंक खाते को बन्द करने के सम्बन्ध में।

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों पर प्रमुख सचिव, कुलाधिपति श्री राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने आदेश संख्या–ई–3575/जी0एस0 दिनाँक 03 जून, 2005 के द्वारा तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी थी। दूरस्थ शिक्षा से सम्बन्धित पंजाब नेशनल बैंक तथा यूनियन बैंक आफ इण्डिया में जमा धनराशियाँ को विश्वविद्यालय के संस्थागत

4/10/13

मद में जमा कराते हुए मियादी जमा करा दिया जाये तथा इस धनराशि का व्यय बिना शासन की अनुमति के नहीं किया जायेगा।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 4.22: विश्वविद्यालय के अन्तर्गत महाविद्यालयों हेतु शिक्षण/ शिक्षणेत्तर पदों का सृजन।

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नवीन महाविद्यालयों में सत्र 2014–15 से प्रवेश प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी जिसके लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार पदों के सृजन की आवश्यकता हैः–

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	शिक्षकों के पदों की संख्या	शिक्षणेत्तर पदों की संख्या	कुल संख्या	अनुमानित आय रू0 करोड़ में	अनुमानित व्यय रू0 करोड़ में
1	कालेज आफ टैक्नोलाजी	47+26=73	54+19=73	146	18.77	8.51
2	कालेज आफ पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नालाजी एण्ड फूड प्रोसेसिंग	31+12=43	32+11=43	86	5.70	6.13
3	कालेज आफ होम साईंस	21+5=26	21+5=26	52	1.88	2.96
4	कालेज आफ बेसिक साईंस	34+21=55	34+21=55	110	4.40	6.37
5	कालेज आफ एग्री बिजनेस मैनेजमैंट	31+12=43	31+12=43	86	5.32	5.08
6	कालेज आफ हार्टीकल्चर	20+11=31	24+7=31	62	1.88	3.49
7	कालेज आफ सूचना टैक्नालाजी	36+0=36	36+0=36	72	4.83	4.07
	कुल योग	**307**	**307**	**614**	**42.78**	**36.61**

उक्त समस्त महाविद्यालयों के क्रियाशील होने पर धनराशि रू0 42.78 करोड़ की आय तथा धनराशि 36.61 करोड़ व्यय होने का अनुमान है।

मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में कालेज आफ बेसिक साइंस तथा हाईटेक फ्लोरिकल्चर सेंटर के भवन का लोकार्पण किया जा चुका है। कालेज आफ टैक्नोलाजी का निर्माण भी पूर्ण हो गया है तथा कालेज आफ पोस्ट हार्वेस्ट टैकनोलाजी

4/1/13

एण्ड फूड प्रोसेसिंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अतः उपरोक्त कालेजों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को चलाये जाने के लिए पदों के सृजन हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद के माध्यम से विस्तृत प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को भेजे जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

अन्त में सचिव वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

04/10/13

(सत्येन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक/सचिव, वित्त समिति

अनुमोदित

4/10/13

(डा0 हरि शंकर गौड़)
कुलपति/अध्यक्ष